HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 1353/2026

Amzad Shekh S/o Ayyaj Shekh, Aged About 26 Years, Resident Of Gul Ali Nagari, Sanganeri Gate, Bhilwara, Raj..

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan, Through PP
2. Ghanshyam Sukhwal S/o Govardhan Lal Pandiya, Resident Of Bhawani Nagar, Near Shyam Vihar, District Bhilwara, Raj..complainant.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Padam Singh Solanki
For Respondent(s)	:	Mr. Vikram Singh Rajpurohit, PP with Mr. Ravindra Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

26/02/2026

योग्य अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत यह आपराधिक विविध याचिका अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत पेश की गई है, जिसमें निम्न अनुतोष चाहा गया है :–

> *"It is therefore most humbly prayed that this Misc. Petition of the petitioner may kindly be allowed and the FIR No.274/2025 dated 30.12.2025 P.S. Bhimganj, District Bhilwara for the offence U/S 299 and 308(2) of BNS, 2023 may kindly be quashed and set aside quo the petitioner and the criminal proceeding intiate against the petitioner may kindly be dropped. ..."*

02. याची के योग्य अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि उसे इस प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है और केवल अपराध अन्तर्गत धारा 308 (2)

बी.एन.एस. का ही प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित होना अनुंसधान से प्रकट किया गया है। जबकि समान परिस्थितियों में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा भी पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त की गई थी, जिसमें भी उनके द्वारा समान अनुतोष बाबत् याचिका पेश की गई थी। पूर्व में जो याचिका पेश की गई थी उसके पश्चात् अनुसंधान से अपराध अन्तर्गत धारा 299 बी.एन.एस. का भी प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर याची के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रकरण नहीं बनने से यह याचिका स्वीकार करने का निवेदन किया।

03. इसके विपरीत उक्त तर्कों के खंडन में विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिए कि पूर्व में भी इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने बाबत् याची की ओर से याचिका प्रस्तुत करने पर जो अनुतोष चाहा गया था, उसी संदर्भ में ही इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 16.01.2026 के आदेश से याचिका को निस्तारित कर दिया गया था। उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करते हुए यह निवेदन किया था कि अब तक के अनुसंधान से याची के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध अन्तर्गत धारा 308(2) प्रमाणित पाए गए थे। ऐसी स्थिति में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 274/2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, उस बाबत् अभिलेख पर कोई न्यायसंगत कारण नहीं होने से यह याचिका खारिज करने की प्रार्थना की।

04. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 02 घनश्याम की ओर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के विरुद्ध पेश करने पर प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 299, 308(2) बी.एन.एस. में दर्ज करते हुए अनुसंधान किया जा रहा था। इसी दरमियान याची की ओर से पूर्व में इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 274/2025 को निरस्त करने बाबत् आपराधिक विविध याचिका संख्या 157/2026 पेश करने पर जो अनुतोष चाहा गया था, वह समान अनुतोष इस वर्तमान याचिका में भी चाहा गया है, जबकि पूर्व में पेश की गई याचिका में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2026 में विस्तृत रूप से कारणों का उल्लेख करते

हुए पैरा संख्या 05 व 06 में निम्न आदेश देते हुए याचिका का निस्तारण किया गया था :–

> *"5. This Court, upon a perusal of the case file and the impugned FIR, prima facie finds that the offences alleged to have been committed by the petitioner are either triable by a Court of Magistrate and/or do not contain the maximum punishment of more than seven years, and keeping in mind the provisions contained in Section 35 BNSS (Sections 41, 41-A Cr.P.C.) as well as the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court in the case of Arnesh Kumar vs. State of Bihar, reported in AIR 2014 SC2756, the dictum of which squarely applies mutatis mutandis tothe present case, it is directed that in case, the arrest of the petitioner is found to be absolutely necessary by the Investigating Agency, instead of affecting the arrest of the petitioner at once, a prior notice of 20 days shall be given to him so that he may exercise his rights. Needless to say that the petitioner is not precluded from ventilating his grievances before this Court or trial Court, if occasion so arises, at an appropriate stage.*
>
> *6. With the aforesaid direction, the misc. petition filed under Section 528 BNSS as well as stay application are disposed of."*

यद्यपि इसके पश्चात् प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर अभी भी याची के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या अपराध अन्तर्गत धारा 308(2) बी.एन.एस. का प्रमाणित होना भी पाया गया है। इस संबंध में पूर्व में इसी न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा

आपराधिक विविध याचिका संख्या 157/2026 के पैरा संख्या 05 व 06 में निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण किया जा चुका है और प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह तथ्य भी आया है जो इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में आदेश दिया गया था, उसकी पालना में निर्देश देने के पश्चात् भी याची की उपस्थिति नहीं होना भी प्रकट किया गया है।

05. परिणामस्वरूप प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, समान परिस्थितियों पर पुनः इस प्रस्तुत याचिका में कोई बल होना नहीं प्रकट होने से यह आपराधिक विविध याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

06. स्थगन प्रार्थना–पत्र एवं अन्य प्रार्थना–पत्र यदि कोई हो तो, उसका निस्तारण भी इस याचिका के साथ किया जाता है।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

291-Vishal/-